बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:–2/अ0प्र0–4–61/2015 50 /पटना, दिनांक :– 15-9-2020

जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 304 दिनांक 21.03.2017 द्वारा श्री रामा कान्त पाण्डेय, तदेन कनीय अभियंता, नावानगर प्रखंड, बक्सर के विरूद्ध बक्सर जिलान्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन प्रखंड परिसर नावानगर में अवस्थित सभा भवन प्रशिक्षण–सह–विश्रामालय भवन का निर्माण कार्य का खराब गुणवत्ता रहने पर भी मापी करने तथा मापीपुस्त में नियमानुसार मापी दर्ज नहीं करने के मामले में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री पाण्डेय के विरूद्ध उक्त आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–312 अनु0 दिनांक 26.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव रंजन कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 23.01.2018 समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) में निहित प्रावधान के तहत श्री पाण्डेय से विभागीय पत्रांक 1222 अनु0 दिनांक 30.05.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री पाण्डेय द्वारा द्वितीय बचाव बयान दिनांक 19.06.2020 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध इस मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को अप्रमाणित माना है। विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के जिन बिन्दुओं का उल्लेख है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। नावानगर में अवस्थित सभा भवन प्रशिक्षण–सह–विश्रामालय भवन निर्माण कार्य का नीव से लेकर छत ढ़लाई तक का कार्य श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता द्वारा कराया गया है। श्री प्रसाद, कनीय अभियंता उपरोक्त योजना के अभिकर्त्ता भी थे एवं कनीय अभियंता के रूप में कार्य की मापी भी उनके द्वारा छत ढ़लाई तक का किया गया है। श्री सुरेश प्रसाद, कनीय अभियंता के नावानगर प्रखंड से स्थानान्तरण के फलस्वरूप छत

ढ़लाई के बाद अवशेष कार्य यथा प्लास्टर कार्य, फर्श कार्य, खिड़की–दरवाजा एवं पेटिंग कार्य इन सभी कार्यों को कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नावानगर प्रखंड में ही पदस्थापित पंचायत सेवक श्री नागेन्द्र सिंह को अभिकर्त्ता बनाया गया। श्री नागेन्द्र सिंह, पंचायत सेवक द्वारा कराये गए कार्य की मापी उनके द्वारा की गई। निर्माण कार्य की मापी उनके द्वारा मापी पुस्त पर ली गई जो कराए गए कार्य की वास्वतिक मापी के आधार पर है। उनके देख–रेख में निर्माण कार्य के जिन मदों का कार्य कराया गया सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण है एवं प्राक्कलन के अनुरूप है, जैसा कि जाँच में संचालन पदाधिकारी द्वारा पाया गया है।

6. श्री पाण्डेय के द्वितीय बचाव बयान की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामा कान्त पाण्डेय, तदेन कनीय अभियंता को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री रामा कान्त पाण्डेय, तदेन कनीय अभियंता, नावानगर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–61/2015 1474 /पटना, दिनांक :– 15-9-2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, बक्सर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री रामा कान्त पाण्डेय, तदेन कनीय अभियंता, नावानगर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख